रिपोट के बाद एनजीटी ने याचिका का निपटारा कर दिया। (जासं)

ने बताया कि अभ्यर्थी वेबसाइट से नाम व अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

---

## गाजियाबाद नगर निगम

### ई-निविदा सूचना

पत्रांक: [illegible] प०चि०क०अ०/2020 दिनांक: 26.08.[illegible]

नगर निगम [illegible] द्वारा फर्मों/संस्था ठेकेदारों से उनकी निर्धारित सीमा के अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग की वर्ष 2020-21 पुनः (हरेक) कार्य एवं पशुचिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी विभाग ने आवारा कुत्तों के नियन्त्रण करने हेतु ABC-ARV Program (Animal Birth Control - Anti Rabies Vaccination) का उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार AWBI द्वारा प्रकाशित "Revised Module for Street Dog Population Management, Rabies Eradication, Reducing Man - Dog Conflict" के अनुपालन में अनुभवी पंजीकृत संस्थाओं / गैर सरकारी संगठन (एन०जी०ओ०) जो भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत फर्म हेतु ई-निविदायें उत्तर प्रदेश की ई-निविदा की वेबसाइट http://etender.up.nic.in के माध्यम से दिनांक 09.09.2020 को सायं 03:00 बजे तक आमंत्रित है। सम्बन्धित फर्मों द्वारा उक्त निविदायें दिनांक 04.09.2020 से 09.09.2020 को सायं 03:00 तक उक्त वेबसाइट पर अपलोड की जा सकती है। प्राप्त निविदायें दिनांक 09.09.2020 को सायं 04:00 बजे खोली जायेंगी। निविदा शुल्क का मूल [illegible] विभाग में 09.09.2020 को सायं 4.20 बजे तक जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों हेतु नियम व शर्तें एवं अन्य जानकारी उक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है।

पशुचिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी

---

## गुमशुदा लड़की की तलाश

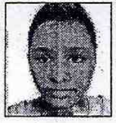

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह लड़की जिसका नामः फिज़ा खान, पुत्रीः यासिन खान, पताः मकान नं. 23, गली नं. 3, नांगली गली, निजामुद्दिन दिल्ली, उम्रः 15 साल, कदः 4 फीट 5 इंच, रंगः काला, चेहराः गोल, शरीरः मजबूत, पहनावाः नीले रंग का कोट और काले रंग की जीन्स पहने हुए, जो दिनांक 17.01.2020 को फ्लैग सैल्टर होम, 5101/1, कृष्णा नगर, करोल बाग़, थाना क्षेत्र प्रसाद नगर, नई दिल्ली से लापता हो गयी है।

इस संदर्भ में FIR No. 14/20, U/s 363 IPC, दिनांक 17.01.2020 थाना प्रसाद नगर, नई दिल्ली में दर्ज है।

पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश के बाद भी अबतक इस लापता लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग नहीं मिल पाया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस लड़की के बारे में कोई जानकारी या सुराग मिले तो अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित पते पर सूचित करने की कृपा करें।

ईमेल : cic@cbi.gov.in
वेबसाइट : http://cbi.nic.in
फैक्स : 011-24368639
दूरभाष : 011-24368638, 24368641

थाना प्रभारी
थाना प्रसाद नगर, नई दिल्ली
फोन: 011-25725652, 25751048
DP/266/CD/2020

---

## अपहृत/गुमशुदा की तलाश

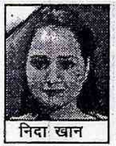

निदा खान

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि एक लड़की जिसका नामः निदा खान, पुत्रीः मोहम्मद सईद, पताः ए–401, पुरानी पुलिस चौकी, नबी करीम, दिल्ली, जोकि अपने घर से दिनांक 15.08.2020 को दोपहर 04:00 बजे से थाना नबी करीम, दिल्ली क्षेत्र से अपहृत/लापता है। इस संदर्भ में DD No. 03 A dated 20.08.2020 को थाना नबी करीम, दिल्ली में अपहृत/लापता की रिपोर्ट दर्ज है। जिसका ब्यौरा इस प्रकार है। उम्रः 20 साल, कदः 5 फुट 1 इंच, चेहराः गोल, रंगः गोरा, शरीरः मध्यम, पहनावाः हल्के क्रीम रंग का कुर्ता और नीले रंग की जीन्स पहन रखी है। पुलिस के भरसक प्रयास के बावजूद अभी तक इस लड़की का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। जिस व्यक्ति के पास इस लड़की के बारे में कोई जानकारी हो तो कृप्या निम्नलिखित पर सूचित करें।

वेबसाइट: http//cbi.nic.in
ई–मेल - cic@cbi.gov.in
फोनः 011-24368638, 24368641
फैक्स नं. 011-24368639
DP/294/CD/2020

थानाध्यक्ष
थानाः नबी करीम, दिल्ली
फोन नं: 011-23521081, 8750870428

---

# दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति

पर्यावरण विभाग, एनसीटी दिल्ली सरकार
5वां तल, आइएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली – 110006
http://dpcc.delhigovt.nic.in पर हमसे मिलें

## सार्वजनिक सूचना

विषयः " शहरी विस्तार रोड– II (NH-344M) का विकास। डिजाइन चेनेज किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 38.111 दिल्ली के NCT राज्य में, लिंक रोड का विकास (नया NH-344P) (किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 29.600) बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली (UER-II के किलोमीटर 7.750) से ग्राम बरवासनी, सोनीपत, हरियाणा में NH-352A के बाईपास तक और लिंक रोड का विकास (नया NH-344N) (किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 7.500) दिल्ली / हरियाणा के राज्य में दिचाऊं कलां से बहादुरगढ़ बायपास / एनएच – 10 तक (कुल लम्बाई 75.211 किमी)। मै. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परियोजना " के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हेतु सार्वजनिक सुनवाई।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार, पत्र क्रमांक F.No. 10-30/2019-IA-III दिनांक 19.07.2019 के द्वारा जारी संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference) के अनुसार 'उपरोक्त विषय' परियोजना के लिए मै. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी हेतु सार्वजनिक सुनवाई करने के लिए इसे अधिसूचित किया गया है।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | परियोजना का नाम | " शहरी विस्तार रोड– II (NH-344M) का विकास। डिजाइन चेनेज किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 38.111 दिल्ली के NCT राज्य में, लिंक रोड का विकास (नया NH-344P) (किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 29.600) बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली (UER-II के किलोमीटर 7.750) से ग्राम बरवासनी, सोनीपत, हरियाणा में NH-352A के बाईपास तक और लिंक रोड का विकास (नया NH-344N) (किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 7.500) दिल्ली / हरियाणा के राज्य में दिचाऊं कलां से बहादुरगढ़ बायपास / एनएच – 10 तक (कुल लम्बाई 75.211 किमी)।" |
| 2. | परियोजना का स्थान | दिल्ली राज्य के चार जिलों अर्थात उत्तर, उत्तर पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के समीप से गुजरता और सड़क परियोजना दो राज्यों अर्थात दिल्ली और हरियाणा को पार करती है। |
| 3. | पता और सम्पर्क नम्बर से सम्पर्क किए जाने वाले प्राधिकृत व्यक्ति के नाम | श्री प्रदीप कुमार सिंघल, जीएम (टी) एवं परियोजना निदेशक, एनएचएआई, 201 ए / ए. 2 रा तल, डी21, कॉर्पोरेट पार्क (मेट्रो स्टेशन – सेक्टर 8, द्वारका के निकट), सेक्टर–21, द्वारका, नई दिल्ली–110075, फोनः 91–11–25074100 / 25074200 मो. +91–9717892100, +91–9717623100 |
| 4. | परियोजना की कुल पूंजी लागत (एलए और उपयोगिता स्थानांतरण सहित) | रु. 7582.07 करोड़ |
| 5. | पर्यावरणीय सलाहकार के नाम | मेसर्स अमलतास एनविरो इंडस्ट्रीयल कंसलटेंट |
| 6. | गतिविधि की रेखा | शहरी विस्तार सड़क– II का विकास |
| 7. | सार्वजनिक सुनवाई की तिथि/समय/स्थान | जिला मजिस्ट्रेट (उत्तर जिला) कार्यालय परिसर, अलीपुर, दिल्ली–110036 के कार्यालय में 30.09.2020 को (समय– पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे) |

सॉफ्ट कॉपी के साथ सख्त परियोजना की प्रारूप पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट (ईआईए रिपोर्ट) (अंग्रेजी में) एवं सारांश ईआईए रिपोर्ट (अंग्रेजी एवं हिंदी में) निम्नलिखित कार्यालयों एवं डीपीसीसी की वेबसाइट (http://dpcc.delhigovt.nic.in) पर उपलब्ध है।

I. जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर दिल्ली, कार्यालय परिसर, अलीपुर, दिल्ली–110036
II. जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर पश्चिम, डीसी (एन / डब्ल्यू) कंझावला, दिल्ली–110081
III. जिला मजिस्ट्रेट, पश्चिम दिल्ली, शिवाजी कॉलेज के निकट, राजा गार्डन, दिल्ली–110002
IV. जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, ओल्ड टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, नई दिल्ली–110037
V. आयुक्त का कार्यालय, उत्तर दिल्ली नगर निगम, चतुर्थ तल, डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेंटर, जेएलएन मार्ग, दिल्ली–02
VI. आयुक्त का कार्यालय, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, 9वां तल, डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेंटर, जेएलएन मार्ग, दिल्ली–02
VII. उद्योग आयुक्त का कार्यालय, दिल्ली एनसीटी सरकार, 419, उद्योग सदन, एफआईई पटपड़गंज, दिल्ली–110092
VIII. उपाध्यक्ष का कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, विकास सदन, आईएनए, दिल्ली–110023
IX. आईए–III अनुभाग का कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, दिल्ली–110003
X. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, 5वां तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–260224
XI. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति का कार्यालय, 5वां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

सार्वजनिक सुनवाई के पहले आम जनता उक्त परियोजना की प्रारूप पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट एवं सारांश पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट तक पहुंच सकते हैं और उपरोक्त वर्णित तिथि, समय एवं स्थान पर सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही में भाग भी ले सकते हैं।

उपरोक्त तिथि को वर्णित सार्वजनिक सुनवाई के दौरान सामाजिक दूरी मानदंड और अन्य सुरक्षा उपायों (फेस कवर / मास्क आदि के पहनने) का कोविड–19 के नियंत्रण के लिए, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश सं. एफ. डीडीएमए / कोविड–19 / 2020 / 1 / 292 दिनांक 21.08.2020 में वर्णित निर्देशों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त वर्णित परियोजना के संबंध में सुझावों / विचारों / टिप्पणियों / आपत्तियों / प्रतिक्रियाओं, यदि हो, इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आम जनता / इच्छुक व्यक्तियों से आमंत्रित किया जाता है और उसे सदस्य सचिव, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, 5वां तल, आईएसबीटी बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006 या msdpcc@nic.in पर ई–मेल के माध्यम से लिखित में प्रस्तुत किया जा सकता है।

स्थानः दिल्ली

दैनिक जागरण 29/8/2020

सदस्य सचिव
दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति